

New Delhi, the 5th June, 2008

S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 2006, in the Schedule, against the posts at serial numbers 1 to 40 under column (13) item number (3) and the entry relating thereto in so far as it relates to the Co-opting member shall be omitted.

[F. No. B/03391/RR/EME Civ.-2/289/RR/D(Apptts.)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section-4, vide No. SRO 29 dated the 18th February, 2006.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 जून, 2008

का. नि. आ. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. निवंत्रण प्राधिकारी.—पद को रक्षा मंत्रालय (वित्त), के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

5. स्थानांतरण का दायित्व.—ज्येष्ठ लेखा अधिकारी भारत में कहीं भी स्थानांतरण के दायित्वाधीन होंगे।

6. निरर्हताएं :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन पर सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY



सं. 12] नई दिल्ली, जून 15-जून 21, 2008, शनिवार/ज्येष्ठ 25-ज्येष्ठ 31, 1930
No. 12] NEW DELHI, JUNE 15-JUNE 21, 2008, SATURDAY/JYAISTHA 25-JYAISTHA 31, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड 4
PART II-Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 2008

का. नि. आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवाएं (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा, महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नतर विरचनाओं में समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा महानिदेशालय समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं, प्रत्येक पद की ज्येष्ठता डिपो/स्थापन वार रखी जाएगी।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ स्वीकार्य है अथवा नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	1293 * (2007) *(लेखा अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखा अधिकारी की श्रेणी में पदों का संयुक्त संख्याबल) अधिकतम 80% को ज्येष्ठ लेखा अधिकारी की श्रेणी में संचालित किया जाए।	साधारण केन्द्रीय सेवाएं, (समूह 'ख') राजपत्रित अनुसूचिवीय	8000-275- 13500 रु.	गैर-चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
8		9		10		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता				प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा		
11				12		
प्रोन्नति द्वारा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा				प्रोन्नति : रु. 7500-12000 के वेतनमान में लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : विभिन्न संगठित लेखा संवर्गों के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकारी :		

(क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं; या

(ii) मूल काडर/विभाग में 7500-12000 रुपए या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् समर्पित ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; या

(iii) मूल काडर/विभाग में 7450-11500 रुपए या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् समर्पित ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा; तथा

(ख) वित्त/बजट/लेखा शाखा में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो :-
नोट : फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के लिए तैयार हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में नियुक्ति से तुरंत पूर्व अन्य संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि समान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) :-

- | | |
|---|----------|
| 1. रक्षा लेखा महानियंत्रक/व्येष्टतम रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक | -अध्यक्ष |
| 2. रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक | -सदस्य |
| 3. रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशासन) | -सदस्य |
| 4. दो रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/एकीकृत वित्तीय सलाहकार (जिसमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित होना चाहिए) | -सदस्य |

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एफ 9(1)/सी/2006]

रमेश कुमार, निदेशक (वित्त/समन्वय)

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 6th June, 2008

S.R.O. -54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Controlling authority.—The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance).

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Liability for transfer.—The Senior Accounts Officers shall be liable to transfer anywhere in India.

6. Disqualifications.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruit
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior Accounts Officer	1293* (2007) *(Combined strength of Senior Accounts Officer and Accounts Officer). Post to be operated as Senior Accounts Officer shall be not exceeding 80%	General Central Services (Group 'B') Non-Gazetted Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any	
8			9		10	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	

2174 GI/08-6

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

11

Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

12

Promotion :

Accounts Officer in the Pay scale of Rs. 7500-12000 with two years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers of the Organised Accounts Service of the Central Government :

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department, or

(ii) With 'two years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 7500-12000 or equivalent in the parent cadre/Department; or

(iii) With three years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 74500-11500 or equivalent in the parent cadre/Department, and

(b) Possessing three years experience in Finance/Budgeting/Accounts Branch.

Note : The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

13

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Considering Promotion)

1. Controller General of Defence Accounts/Senior most Additional Controller General of Defence Accounts
2. Additional Controller General of Defence Accounts
3. Joint Controller General of Defence Accounts (Administration)
4. Two Principal Controllers of Defence Accounts/Controller of Defence Accounts/Integrated Financial Adviser (One of whom should belong to Scheduled Caste Scheduled Tribe)

—Chairman

—Member

—Member

—Member

Circumstances which UPSC is to be consulted in making recruitment

14

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

RAMESH KUMAR, Director (Finance/C)

[F.No. F 9(1)/C/2

(FINANCE DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th January, 2018

S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Recruitment Rules to the posts of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department, 2009.

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. SRO NO. 54

In Column No.3 of the schedule

For

"General Central Service Group "B" Non-Gazetted, Ministerial"

Read

"General Central Service Group "B" Gazetted, Non-Ministerial"

[F. No. F 9(1)/C/2006]

R. K. KARNA, Jt. Secy. & Addl. FA

Note: The principal rules dated 6th June, 2008 was published in Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 54 on the 21st day of June, 2008.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.17 22:43:24 +05'30'